<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा, जिला बीकानेर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी **राहुल महेन्द्रा, आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या 447/2020
सी.एन.आर. संख्या RJBK080006342020

राजस्थान राज्य **-- अभियोगी**

बनाम

खेमाराम पुत्र श्री टीकुराम, उम्र 66 वर्ष, निवासी गुन्दुसर, पीएस जसरासर, जिला बीकानेर।

-- अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 452, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थित :-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री पदमाराम परिहार, वास्ते अभियुक्त।

-निर्णय- **दिनांक 22.05.2026**

1) श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, बीकानेर के आदेश क्रमांक स्टेनो/2021/15 दिनांकित 13.07.2021 की पालना में हस्तगत प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा से अंतरित होकर दिनांक 20.09.2021 को इस न्यायालय में पेश हुआ, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

2) हस्तगत प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी, पुलिस थाना जसरासर द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2019 अंतर्गत धारा 452, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता में बाद अनुसंधान अभियुक्त खेमाराम के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र अंतर्गत धारा 452, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता से हुआ, जिसका बाद विचारण निस्तारण एतद्द्वारा किया जा रहा है।

3) प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.10.2019 को परिवादी मांगुराम ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना जसरासर के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.10.2019 को समय रात के 10.00 बजे वह खाना खाकर अपने घर में सोया था, इतने में खेमाराम पुत्र श्री टीकुराम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पर आया और घर में आते ही उसके सिर पर कुल्हाड़ी की मारी, जिससे उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आई, जब वो दोबारा उसे कुल्हाड़ी की मारने लगा तो उसने हल्ला किया, तब उसकी पत्नी व उसके बच्चों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया, उसके बाद उसे वो जान से मारने की धमकी देकर चला गया और फिर दिनांक

08.10.2019 को सुबह समय लगभग 8.00 बजे खेमाराम हाथ में लाठी लेकर उसे मारने के लिए वापिस आया व उसे घर से बाहर निकलने की धमकी दी और कहा रात को जिन्दा छोड़ दिया, लेकिन अब घर से बाहर निकलते ही मारेगा...आदि।

4) उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जसरासर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2019 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त खेमाराम के विरूद्ध धारा 452, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 452, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त को उक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन-समझकर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत की गई।

5) परिवादी द्वारा अभियुक्त से धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा करने पर अभियुक्त खेमाराम को दिनांक 25.07.2023 को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया, जिसके पश्चात् अभियुक्त पर धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का विचारण शेष रहा, जिस संदर्भ में यह निर्णय किया जा रहा है।

6) अभियोजन साक्ष्य में अभियोजन अधिकारी द्वारा निम्न गवाहान को परीक्षित एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया-

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह का क्रम
1	मांगुराम उर्फ मांगीलाल	पी.डब्ल्यू.-01
2	रामुदेवी	पी.डब्ल्यू.-02
3	रेवंतराम	पी.डब्ल्यू.-03
4	खिंयाराम	पी.डब्ल्यू.-04

क्र.सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
01	तहरीरी रिपोर्ट	पी-01
02	चाक एफ.आई.आर.	पी-02
03	नक्शामौका व हालातमौका	पी-03 व 03ए
04	चोट प्रतिवेदन मांगीलाल	पी-04
05	पुलिस बयान मांगुराम	पी-05
06	पुलिस बयान खेमुदेवी	पी-06
07	पुलिस बयान खेतराम	पी-07
08	गिरफ्तारी चैक लिस्ट	पी-08
09	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त	पी-09

7) साक्ष्य अभियोजन पूर्ण होने पर अभियुक्त को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना बताया व स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

8) बहस अन्तिम सुनी गई।

8.1) दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध समग्र तथ्य एवं परिस्थितियों को आधार मानते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

8.2) इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने पुरजोर तर्क दिये कि अभियुक्त निर्दोष है, जिसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। परिवादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो चुका है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित समस्त गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हो पाई है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाए।

9) पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.10.2019 को रात्रि 10 बजे के लगभग गुंदुसर स्थित परिवादी मांगुराम के घर में अवैध रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?"

यदि 'हां' तो अभियुक्त को किस दंड से दंडित किया जाना चाहिए?

10) उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पर है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अध्ययन सुसंगत है, जिसके अनुसार- **'जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिनहें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।'** उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन द्वारा कुल 3 अभियोजन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है।

11) उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में विचारणीय बिन्दु को साबित करने का सिद्धिभार अभियोजन पर था, जिसके संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 03 अभियोजन साक्षीयों को परीक्षित करवाया गया है। गवाह पीडब्ल्यू-01 परिवादी मांगुराम उर्फ मांगीलाल ने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके बयानों से लगभग 4 साल पहले खेमाराम ने उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट घर के बाहर की थी।

खेमाराम ने उसके घर में घुसकर मारपीट नहीं की थी। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि उनका आपस में राजीनामा हो गया है। घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 उसने थाने में दी थी, जो उसने किससे लिखवाई थी वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी-01 का हिस्सा ए से बी उसका लिखवाया हुआ नहीं है। पुलिस में उसके बयान हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी-05 का हिस्सा ए से बी उसका लिखवाया हुआ नहीं है।

11.1) इसी क्रम में प्रकरण के गवाह पी.ड.2 समुदेवी ने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उसके बयानों से करीब चार साल पहले खेमाराम ने उसके पति के साथ गली में मारपीट की थी। खेमाराम ने उनके घर में घुसकर मारपीट नहीं की थी। उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि उनका आपस में राजीनामा हो गया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी-06 का हिस्सा ए से बी उसका लिखाया हुआ नहीं है।

11.2) इसी क्रम में प्रकरण के गवाह पी.ड.3 रेवंतराम ने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उसके बयानों से करीब चार साल पहले खेमाराम ने मांगुराम के साथ गली में मारपीट की थी। खेमाराम ने उसके घर में घुसकर मारपीट नहीं की थी। उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा हो गया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी-07 का हिस्सा ए से बी उसका लिखाया हुआ नहीं है।

11.3) इसी क्रम में प्रकरण के परिवादी गवाह पी.ड.-04 खिंयाराम ने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 08.10.2019 को एचसी के पद पर पीएस जसरासर में तैनात था। उस दिन एसएचओ श्री गुरमेलसिंह थे। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर कायमी मुकदमा का पृष्ठांकन व एसएचओ गुरमेलसिंह के हस्ताक्षर हैं। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 2 है, जिस पर एसएचओ गुरमेलसिंह के हस्ताक्षर हैं। मुकदमा नं. 132/19 दर्ज होने पर इस मुकदमा की तफ्तीश उसे सुपुर्द की। जिस पर उसने आहत मांगीलाल के शरीर पर आई चोटों को मेडिकल मुआयना करवाकर चोट आईआर, शामिल पत्रावली किए। घटना स्थल पर पहुंच कर नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी 3 तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर व मांगुराम का अंगूठा निशान है। हालात मौका प्रदर्श पी 03ए है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह मांगुराम, सेमुदेवी, रेवंतराम के बयान उनके कथनानुसार लिए थे। अभियुक्त खेमाराम की चेक लिस्ट धारा 41 सीआरपीसी प्रदर्श पी 08 तैयार की जिस पर उसके एवं मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। मुलजिम खेमाराम को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 09 के गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके एवं मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। बाद तफ्तीश आरोपी खेमाराम पुत्र टीकुराम के विरूद्ध धारा 452, 323, 506, भा.दं.सं. में आरोप प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ

गुरमेलसिंह को सुपुर्द की, जिन्होंने उक्त मुलजिम के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि दौराने अनुसंधान उसने कोई खून आलुदा कपड़े व लाठी, कुल्हाड़ी को जब्त नहीं किया। यह सही है कि जहां घटना हुई वो आबाद एरिया है। यह सही है कि घटनास्थल पर कोई खून के आलामात नजर नहीं आये।

12) पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण में दिनांक 25.07.2023 को परिवादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को धारा 323, 506 भादंसं के तहत जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया था और अभियुक्त पर केवल मात्र धारा 452 भादंसं का अपराध शेष रहा है, जिसके संदर्भ में यदि पत्रावली का अवलोकन करें तो परिवादी मांगुराम उर्फ मांगीलाल द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श-01 थाने में पेश की गयी, जिस पर एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-02 दर्ज हुई। उक्त गवाह मांगुराम उर्फ मांगीलाल न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.-01 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने सशपथ बयानों में मारपीट किये जाने के तो कथन किये हैं, परंतु मारपीट घर के बाहर होने व घर में घुसकर मारपीट नहीं करने के स्पष्ट कथन किये हैं। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की जिरह में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 किससे लिखवाई यह उसे पता नहीं होने व पुलिस बयान प्रदर्श पी-05 का हिस्सा ए से बी उसके द्वारा नहीं लिखाया हुआ होने का कथन किया है। यहां पर न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित होता है कि धारा 452 भादंसं के प्रावधान के लिए गृह अतिचार की धारा 442 में परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति का किसी घर में, बिल्डिंग, टैंट या वेसल में जहां पर मनुष्य की रिहायश हो या किसी की कस्टडी में कोई प्रोपर्टी हो, के अंदर जाना आवश्यक है, परंतु परिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से मारपीट घर के बाहर होने के कथन किये हैं, जिससे गृह अतिचार नहीं होना प्रकट है।

12.1) इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.-02 समुदेवी व पी.डब्ल्यू.-03 रेवंतराम ने अपनी साक्ष्य में एक समान कथन करते हुए खेमाराम द्वारा मारपीट घर में घुसकर नहीं करने का स्पष्ट कथन किया है और उक्त दोनों गवाह की न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन अधिकारी की जिरह में पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी-06 व पी-07 का हिस्सा ए से बी उनका लिखाया हुआ नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाह भी मारपीट घर में घुसकर किये जाने के संबंध में कणमात्र भी ताईद नहीं करते हैं।

12.2) ऐसे में यहां अनुसंधान अधिकारी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452, 323, 506 भादंसं में आरोप प्रमाणित माना था, परंतु जिरह में उक्त गवाह द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि घटनास्थल आबादी एरिया है, इस संदर्भ में यदि नक्शामौका व हालातमौका प्रदर्श पी-03 व पी-03 ए का अवलोकन किया जावे तो उसमें स्पष्ट रूप से एक्स स्थान पर मकान में प्रवेश किये जाने का अंकन

है, परंतु स्वयं परिवादी व उसकी पत्नी समुदेवी जो कि नक्शामौका की गवाह है, ने घर में घुसकर मारपीट नहीं करने का स्पष्ट कथन न्यायालयीन बयानों में किया है, जिससे हालातमौका से विरोधाभासी कथन उक्त गवाहों ने किये हैं, जो इस संदर्भ में अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है।

12.3) अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त **खेमाराम** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 452 भा.दं.सं. में **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

-आदेश-

13) परिणामतः **अभियुक्त खेमाराम** पुत्र श्री टीकुराम, उम्र 66 वर्ष, निवासी गुन्दुसर, पीएस जसरासर, जिला बीकानेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **452 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त घोषित किया जाता है।** परिवादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से दिनांक 25.07.2023 को अभियुक्त खेमाराम को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 506 भादंसं के तहत जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है।

13.1) अभियुक्त के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13.2) प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत जब्त हो, तो बाद गुजरने मियाद अपील उसका नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

13.3) अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर वह अपीलीय न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत आगामी छह माह की अवधि के लिए धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनार्थ 20,000/- रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का बंध पत्र पेश कर तस्दीक करावे।

(राहुल महेन्द्रा, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा
जिला बीकानेर।

14) निर्णय आज दिनांक **22-05-2026** को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(राहुल महेन्द्रा, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा
जिला बीकानेर।